

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 जून 2020 — ज्येष्ठ 11, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक 4231/डी. 95/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 11 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार एवं
प्रारंभ;

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम
का संशोधन

2. छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में,-
(एक) धारा 1 में, उप-धारा (1) "संक्षिप्त नाम" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 कहलायेगा।"
(दो) शब्द "स्थानीय निधि संपरीक्षा" जहाँ कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द "राज्य संपरीक्षा" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 2 का
संशोधन

3. मूल अधिनियम में, धारा 2 में,-
(एक) खण्ड (क) में, शब्द तथा चिन्ह "विस्तृत संपरीक्षा" के पश्चात् शब्द तथा चिन्ह "नमूना संपरीक्षा, पूर्व संपरीक्षा, समवर्ती संपरीक्षा, पश्चातवर्ती संपरीक्षा, फोरेसिक संपरीक्षा, वित्तीय संपरीक्षा, अनुपालन संपरीक्षा, जोखिम आधारित संपरीक्षा, निष्पादन संपरीक्षा" अंतःस्थापित किया जाए; तथा

(दो) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये,
अर्थात् :-

- "(ट) "नमूना संपरीक्षा" से अभिप्रेत है चयनित माह/अवधि के लेखों और/या वित्तीय संव्यवहार और/या किसी योजना की संपरीक्षा;
- (ठ) "पूर्व संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी निधि में से संदाय, आहरण या समायोजन के पूर्व की जाने वाली संपरीक्षा;
- (ड) "समवर्ती संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी निधि में से संदाय, आहरण या समायोजन करने के, या तो साथ ही साथ या उसके तुरन्त पश्चात् स्थल पर की जाने वाली संपरीक्षा;
- (ढ) "पश्चातवर्ती संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी निधि में से संदाय, आहरण या समायोजन के पश्चात् की जाने वाली संपरीक्षा, जो समवर्ती संपरीक्षा न हो, किंतु इसमें विस्तृत संपरीक्षा एवं नमूना संपरीक्षा सम्मिलित है;
- (ण) "फोरेंसिक संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी फर्म या प्राधिकारी या व्यक्ति के वित्तीय अभिलेखों का ऐसा परीक्षण एवं मूल्यांकन, जिसे साक्ष्य के रूप में किसी न्यायालय अथवा विधिक कार्यवाही में प्रयोग किया जा सके;
- (त) "वित्तीय संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी प्राधिकारी के वित्तीय प्रतिवेदनों एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाओं का स्वतंत्र एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन;
- (थ) "अनुपालन संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी प्राधिकारी के लिये विहित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन पर केंद्रित विस्तृत पुनर्विलोकन की प्रक्रिया;
- (द) "जोखिम आधारित संपरीक्षा" से अभिप्रेत है संपरीक्षा की ऐसी शैली, जो किसी संस्थान की वित्तीय अनियमितताओं के होने की जोखिम के विश्लेषण एवं प्रबंधन पर केन्द्रित हो;

- (न) निष्पादन संपरीक्षा से अभिप्रेत है किसी निकाय के कार्यक्रम, क्रिया, संचालन, प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की उपलब्ध संसाधनों के मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता से लक्ष्य प्राप्ति का आकलन।
- (न) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूचियां;
- (प) "अधिभार" से अभिप्रेत है किसी धन या अन्य सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोजन या दुर्विनियोजन की वह राशि, जिसके लिये संचालक किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराता हो कि उसके किसी अपचार या घोर उपेक्षा के कारण हानि कारित हुई है;
- (फ) "लेखे" से अभिप्रेत है किसी प्राधिकारी के वित्तीय संव्यवहार एवं सभी संबंधित अभिलेख।"

धारा 7 का संशोधन

4. मूल अधिनियम में, धारा 7 में,—

- (1) उप-धारा (1) में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए; और
- (2) उप-धारा (3) में, शब्द "ऐसी मंजूरी क्यों न दे दी जाये" के पूर्व तथा शब्द "वह यह हेतुक दर्शाये कि" के पश्चात् शब्द "तीस दिवस के भीतर" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 8-क का संशोधन

5. मूल अधिनियम में, धारा 8-क की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

- "(1) "उक्त अधिनियम की धारा — 4(1) एवं धारा 21(3) की अनुसूचियों में निर्दिष्ट निकायों के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में संचालक, राज्य संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार (वित्त विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा."

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक 4231/डी. 95/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 1-6-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 11 of 2020)

THE CHHATTISGARH STHANIYA NIDHI SAMPARIKSHA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973, (No.43 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. **Short title, extent and commencement.**
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973, (No. 43 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act),- **Amendment of the Principal Act.**
 - (i) in Section 1, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) This Act may be called the
Chhattisgarh Rajya
Sampariksha Adhiniyam, 1973."

- (ii) for the words "Local Fund Audit",
wherever they occur, the words "State
Audit" shall be substituted.

**Amendment of
Section 2.**

3.

In the Principal Act, in Section 2,-

- (i) in clause (a), after the words and
punctuation "detailed audit,", the
words and punctuations "Test audit,
Pre-audit, Concurrent audit, Post
audit, Forensic audit, Financial audit,
Compliance audit, Risk based audit,
Performance audit" shall be inserted;
and
- (ii) after clause (j), the following shall
added, namely:-

"(k)"Test audit" means an audit of
accounts for selected months/
duration and/or financial
transaction and/or any
schemes;

(l) "Pre-audit" means an audit before payment, withdrawal or adjustment out of a fund;

(m) "Concurrent audit" means an audit on the spot, either simultaneously with or soon after the making of payment, withdrawal or adjustment out of a fund;

(n) "Post audit" means an audit after making of payment, withdrawal or adjustment out of a fund, which is not concurrent audit but includes Detailed Audit and Test Audit;

(o) "Forensic audit" means an examination and evaluation of a firm's or authorities or individual's financial records to derive evidence that can be used in a court of law or legal proceeding;

- (p) "Financial audit" means an independent and objective evaluation of an authority's financial reports and financial reporting processes;
- (q) "Compliance audit" means a process of comprehensive review with the focus on the compliance of rules and regulations prescribed for an authority;
- (r) "Risk based audit" means an audit style that focuses on the analysis and management of the risk of financial irregularities of an institution;
- (s) "Performance audit" mean the assessment of the attainment of a body's programs, actions, operations, management systems and processes with the economy, efficiency and effectiveness of available resources;

- (t) "Schedule" means the Schedules appended in this Adhiniyam;
- (u) "Surcharge" means an amount for which the director makes a person liable for loss, waste, misapplication or misappropriation of any money or other properties due to his misconduct or delinquency;
- (v) "Accounts" means financial transactions and all related records of an authority."

4. In the Principal Act, in Section 7,-

**Amendment of
Section 7.**

- (1) in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", the words "twenty five thousand rupees" shall be substituted; and
- (2) in sub-section (3), before the words "why the sanction" and after the words "show cause", the words "within thirty days" shall be inserted.

**Amendment of 5.
Section 8-A.**

In the Principal Act, in Section 8-A, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The annual report of the Director, State Audit, in relation to the audit of accounts of the bodies as referred in Schedules of sub-section (1) of Section 4 and sub-section (3) of Section 21 of the Adhiniyam shall be submitted to the State Government (Finance Department)."